

विजय बहादुर

बनाम

सुनील कुमार एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या 14311/2024)

06 मार्च 2025

[न्यायमूर्ति संजय करोल एवं न्यायमूर्ति नोंगमईकापम कोटिस्वर सिंह]

विचारणीय मुद्दा

'ग्राम प्रधान' पद के लिए चुनाव में मतों की गिनती में असमानता का आरोप। क्या उप-जिलाधिकारी द्वारा डाले गए मतों की पुनर्गणना का आदेश देना उचित था।

हेडनोट्स

उ.प्र. पंचायती राज अधिनियम, 1947 – 'ग्राम प्रधान' के लिए चुनाव – अपीलकर्ता के असंतोष का मूल कारण पीठासीन अधिकारी द्वारा उसे दिए गए बयान में असंगति थी कि मतदान केन्द्र 43, 44 और 45 में कुल 1194 वोट डाले गए थे, तथा 'फॉर्म 46' के अंतर्गत दिए गए अंतिम आंकड़े में उक्त बूथों पर कुल 1213 वोट डाले गए थे – चुनाव याचिका – उप-जिलाधिकारी ने डाले गए वोटों की पुनर्गणना का आदेश दिया – शुद्धता:

धारित किया गया: यह आरोप लगाया गया है कि अपीलकर्ता को सूचित किए गए मतों की गिनती और अंततः आधिकारिक रूप में बताए गए मतों की गिनती में असमानता है – यह 19 मतों से संबंधित है, अर्थात् 1193 और 1213 के बीच का अंतर – प्रतिवादी की जीत का अंतर 37 वोटों का था, और इसलिए, एक तरह से, अपीलकर्ता के लिए जीत अभी भी दूर ही रहेगी – हालांकि, चिंता इस बात को लेकर है कि कोई व्यक्ति सत्ता में कैसे आया – यह प्रक्रिया संवैधानिक सिद्धांतों और स्थापित मानदंडों के अनुरूप होनी चाहिए – यदि ऐसा नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को सत्ता से वंचित किया जाना चाहिए, और लोगों द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जाना चाहिए – जब अधिकारी वहां मौजूद थे और उन्होंने अपीलकर्ता उम्मीदवार को डाले गए वोटों की संख्या बताई थी, तो संख्या में अंतर क्यों था – प्रधान पद के लिए चार व्यक्तियों ने चुनाव लड़ा था – चार में से तीन व्यक्तियों ने शपथपत्र के माध्यम से कहा कि उन्हें चुनाव की औचित्य पर संदेह है तथा वे मतों की पुनर्गणना का समर्थन करेंगे – अपीलकर्ता को मतदान क्षेत्र से हटाने के लिए पुलिस बल का भी प्रयोग किया गया – मतदान केन्द्रों के पीठासीन अधिकारी की डायरी, जो मतदान का रिकॉर्ड रखने वाला एक आवश्यक दस्तावेज है, काफी प्रयास के बावजूद नहीं मिल सकी – यदि पीठासीन अधिकारी के अभिलेख गायब हैं और उनका सत्यापन नहीं किया जा सकता है, तो यह पाया जा सकता है कि अंतिम निष्कर्ष संदिग्ध है – चुनाव से संबंधित प्रत्येक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

दस्तावेज महत्वपूर्ण है और उसे सुरक्षित रखने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए – जिस तरह से चुनाव आयोजित किया गया था, और चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब हैं और इस अनुपस्थिति का कारण स्पष्ट नहीं है, वर्तमान तथ्यों के आधार पर पुनर्गणना उचित होगी। [पैरा 14, 15, 16, 17, 18]

उद्धृत केस लॉ

राम सेवक यादव बनाम हुसैन कामिल किदवई एवं अन्य [1964] 6 एससीआर 238: एआईआर 1964 एससी 1249 – अनुसरण किया गया।

वडिवेलु बनाम सुंदरम [2000] सप. 3 एससीआर 642 : (2000) 8 एससीसी 355; सुरेश प्रसाद यादव बनाम जय प्रकाश मिश्रा [1975] 3 एससीआर 21: (1975) 4 एससीसी 822; बेली राम भलाइक बनाम बिहारी लाल खाची (1975) 4 एससीसी 417; सत्यनारायण दुधानी बनाम उदय कुमार सिंह (1993) सप. 2 एससीसी 82; उदय चंद बनाम सूरत सिंह [2009] 15 एससीआर 147: (2009) 10 एससीसी 170 – पर अवलम्ब लिया गया।

टी.एन. शेषन बनाम भारत संघ [1995] सप. 2 एससीआर 106: (1995) 4 एससीसी 611; अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ [2023] 9 एससीआर 1: (2023) 6 एससीसी 161; राम अधार सिंह बनाम जिला न्यायाधीश, गाजीपुर 1985 एससीसी ऑनलाइन ऑल 246; भाभी बनाम शिव गोविंद [1975] सप. 1 एससीआर 202: (1976) 1 एससीसी 687 – संदर्भित।

वेबसाइटों की सूची

अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी और संग्रहालय [https:// presidentlincoln.illinois.gov/gettysburg](https://presidentlincoln.illinois.gov/gettysburg)

अधिनियमों की सूची

उ.प्र. पंचायती राज अधिनियम, 1947; सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005; जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951; भारत का संविधान।

कीवर्ड की सूची

चुनाव; 'ग्राम प्रधान' के लिए चुनाव; मतों की पुनर्गणना; लोकतंत्र; स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव; संवैधानिक शासन; मौलिक अधिकार।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

मामला निम्न से उत्पन्न

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 14311/2024

रिट सी संख्या 35734/2022 मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिनांक 27.01.2023 के निर्णय और आदेश से

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता:

एस.आर. सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुशांत कुमार यादव, प्रतीक यादव, मंगल प्रसाद, अजय यादव, अनुराग सिंह, पृथ्वी यादव, सुश्री राधा राजपूत, मित्र राव, अंकुर यादव।

प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता:

सुश्री श्वेता रानी, शौर्य सहाय, आदित्य कुमार।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

न्यायमूर्ति संजय करोल

प्रस्तावना

"लोकतंत्र को दी जाने वाली सभी श्रद्धांजलि के मूल में वह छोटा आदमी है, जो एक छोटी सी पेंसिल के साथ, एक छोटे से कागज पर एक छोटा सा क्रॉस बनाते हुए, छोटे से बूथ में प्रवेश करता है – कोई भी बयानबाजी या भारी चर्चा संभवतः उस बिंदु के अत्यधिक महत्व को कम नहीं कर सकती है।"

– विंस्टन चर्चिल

– हाउस ऑफ कॉमन्स,

31 अक्टूबर 1944

1. 19 नवंबर, 1863 को दिए गए प्रसिद्ध गेटिसबर्ग संबोधन 1 में राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने संभवतः लोकतंत्र का सबसे अच्छा वर्णन किया था –

"जनता की सरकार, जनता द्वारा, जनता के लिए"

निस्संदेह, इस अवधारणा के केंद्र में जनता है। भारतीय संवैधानिक दृष्टि इस स्थिति का उदाहरण है। लोकतांत्रिक शासन की शुरुआत से ही, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ने हमारी शासन प्रणाली में अपना स्थान पाया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

प्रत्येक चुनाव में जन भागीदारी, समानता और वोट की अखंडता के इन पोषित मूल्यों को बनाए रखना संस्थापकों की दृष्टि का प्रमाण है। संसदीय प्रणाली में प्रतिनिधियों को चुनने के मामले में प्रत्येक नागरिक वास्तव में समान है, जबकि अन्य परिदृश्यों में विभिन्न कारणों से ऐसा नहीं हो सकता है – वर्ग और जातिगत विभाजन जो अभी भी गहराई से व्याप्त हैं, लैंगिक असमानता, जागरूकता की कमी और विकलांग व्यक्तियों के लिए अवसरों की कमी आदि।

यह क्षणिक समानता और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यह संवैधानिक तंत्र के माध्यम से सभी के लिए समानता की आकांक्षा की प्राप्ति को दर्शाती है। यह सच है कि अन्य क्षेत्रों में समानता केवल संवैधानिक कार्रवाई का परिणाम नहीं हो सकती, तथा इसके साथ सामाजिक परिवर्तन भी होना चाहिए, फिर भी संवैधानिक कार्रवाई की ताकत इसी से प्रकट होती है।

टी.एन. शेषन बनाम भारत संघ मामले में संविधान पीठ के लिए लिखते हुए, मुख्य न्यायाधीश ए.एम. अहमदी ने भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश (सं. 32 सन् 1993) पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह अध्यादेश “मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (सेवा की शर्तें) संशोधन अध्यादेश, 1993” शीर्षक से जारी किया गया था, जो “मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्त (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1991” में संशोधन करने के लिए जारी किया गया था, जिसे तत्कालीन वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनौती दी थी, उन्होंने अवधारित किया:

"10. हमारे संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम एक लोकतांत्रिक गणराज्य हैं। लोकतंत्र हमारी संवैधानिक व्यवस्था की मूल विशेषता है, इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि हमारे विधायी निकायों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव ही देश में स्वस्थ लोकतंत्र के विकास की गारंटी देंगे..."

हाल ही में, इस न्यायालय ने **अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ** मामले में, न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ के माध्यम से बोलते हुए बहुमत ने कहा:

"124. औपचारिक लोकतंत्र की मांगों के विपरीत, एक वास्तविक लोकतंत्र और अगर हम ऐसा कहें तो एक उदार लोकतंत्र की पहचान को ध्यान में रखना चाहिए। लोकतंत्र लोगों की शक्ति के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। मतपत्र, जो कि सबसे शक्तिशाली बंदूक से भी अधिक शक्तिशाली है। यदि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से आयोजित किए जाएं तो लोकतंत्र आम आदमी के हाथों शांतिपूर्ण क्रांति को संभव बनाता है। चुनावों को एक अहिंसक तख्तापलट के साथ जोड़ा जा सकता है, जो सबसे शक्तिशाली प्रतीत होने वाली सत्तारूढ़ पार्टियों को सत्ता से बेदखल करने में सक्षम है, यदि वे शासितों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रदर्शन नहीं करते हैं। लोकतंत्र तभी सार्थक है जब संविधान की प्रस्तावना में निहित उत्कृष्ट लक्ष्यों, अर्थात् सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय पर शासकों का पूरा ध्यान हो। शासक वर्ग को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणाओं से अनभिज्ञ नहीं होनी चाहिए। धर्मनिरपेक्षता, संविधान की एक बुनियादी विशेषता है, जिसे राज्य के सभी कार्यों में शामिल किया जाना चाहिए, और इसलिए, इसे नकारा नहीं जा सकता है, बल्कि इसका अक्षरशः और भावना से पालन किया जाना चाहिए। लोकतंत्र तभी प्राप्त किया जा सकता है जब शासन व्यवस्था मौलिक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

अधिकारों का अक्षरशः पालन करने का ईमानदारी से प्रयास करे। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि कानून के शासन के प्रति केवल दिखावटी समर्थन ही किया जाएगा तो लोकतंत्र भी कमजोर हो जाएगा और ध्वस्त हो सकता है।”

(प्रभाव वर्धित)

2. यद्यपि पिछले पैराग्राफ में जिन विषयों पर चर्चा की गई है, उनमें से कुछ पर पर्याप्त रूप से साहित्य, जैसे लोकतंत्र, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, संवैधानिक शासन, मौलिक अधिकार आदि, उपलब्ध है फिर भी यह संक्षिप्त पूर्वावलोकन उस संदर्भ को देखते हुए महत्वपूर्ण हो गया है जिसमें यह अपील उद्भूत हुई है।

अपील

3. चुनावी प्रक्रिया में हमारे समक्ष मुख्यतः दो विरोधी व्यक्ति हैं, पराजित अपीलकर्ता, और विजेता प्रतिवादी। यहां भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत रिट-सी संख्या 35734/2022 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित 27 जनवरी 2023 के निर्णय और आदेश को चुनौती दी गई है।

4. पृष्ठभूमि के रूप में, यह दर्ज करना पर्याप्त होगा कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 17 मार्च 2021 की अधिसूचना के तहत प्रयागराज जिले के हंडिया तहसील के सैदाबाद, चका @ चक गांव के लिए 'ग्राम प्रधान' के पद के लिए चुनाव की घोषणा की थी। इसके लिए 2 और 3 मई 2021 को मतदान होना था। अपीलकर्ता के असंतोष का मूल कारण पीठासीन अधिकारी द्वारा उसे दिए गए बयान में असंगतता थी कि मतदान केन्द्र 43, 44 और 45 में कुल 1194 वोट डाले गए थे, तथा 'फॉर्म 46' के तहत दी गई अंतिम गणना में उक्त बूथों पर कुल 1213 वोट डाले गए थे।

इस अपील तक की कार्यवाही

5. वोटों के इस अंतर और स्पष्ट रूप से अंतिम परिणाम, जिसमें प्रधान का पद उसकी पहुंच से 37 वोट दूर रह गई, से व्यथित होकर इसमें गड़बड़ी का संदेह करते हुए, अपीलकर्ता ने चुनाव अधिकारी को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि न्याय पंचायत उत्तरांच में टेबल संख्या 13, 14 और 15 पर तैनात व्यक्तियों द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के साथ मिलीभगत करके उसके पक्ष में वोट रद्द कर दिए गए। इस प्रकार, मतदान अधिकारी से अनुरोध किया गया कि वह बूथ संख्या 43, 44 और 45 के मतों की पुनर्गणना करायें। अधिकारी द्वारा इस आवेदन पर विचार नहीं किया गया।

5.1 इसके बाद अपीलकर्ता ने इस अपील के अनुरूप चुनाव याचिका संख्या 0210/2021 प्रस्तुत की। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1947 की धारा 12-सी(1) के अन्तर्गत उप-जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में लगाए गए आरोपों/प्रस्तुत की गई शिकायत का सार उसके पैरा 7 से 10 में समाहित है। उसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:-

7. उक्त पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी ने मतदान सम्पन्न होने के पश्चात मतपेटी सील करने से पूर्व मौखिक रूप से याचिकाकर्ता को सूचित किया कि मतदान केन्द्र 43, 44 एवं 45 पर प्रधान पद के लिए कुल 1194 मत डाले गए हैं। यद्यपि फॉर्म 46 के अनुसार कुल 1213 मत डाले गए। उपरोक्त गणना से स्पष्ट है कि 19 (उन्नीस) मतपत्र तैयार किए गए थे तथा उन्हें बाहर से लाकर मतपेटी में डाला गया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

है। इसलिए ये 19 (उन्नीस) वोट अवैध हैं और रद्द किए जाने योग्य हैं। याचिकाकर्ता के एजेंट के समक्ष मतपेटी को सील नहीं किया गया था।

8. यह कि फार्म 46 के अनुसार मतदान केन्द्र संख्या 43 पर कुल 21 मत, मतदान केन्द्र संख्या 44 पर कुल 20 मत तथा मतदान केन्द्र संख्या 45 पर कुल 20 मत रद्द किये गये हैं। सही तथ्य यह है कि मतदान अधिकारी ने जानबूझकर प्रतिवादी सुनील को लाभ पहुंचाने के लिए याचिकाकर्ता के पक्ष में डाले गए वोटों को रद्द कर दिया है। मतदान अधिकारी ने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब देने के लिए वही सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं।

9. मतगणना के दौरान मतगणना अधिकारी ने घोषित किया कि मतदान केन्द्र संख्या 43 पर याचिकाकर्ता विजय बहादुर को 233 मत, प्रतिवादी सुनील कुमार को 231 मत, प्रतिवादी संतोष को 9 तथा प्रतिवादी विनोद को 8 मत मिले तथा 20 मतपत्र अवैध घोषित किये गये। मतदान केन्द्र संख्या 44 पर याचिकाकर्ता विजय बहादुर को 148 मत, प्रतिवादी सुनील कुमार को 184, प्रतिवादी संतोष को 23 तथा प्रतिवादी विनोद को 2 मत मिले तथा 20 मतपत्र अवैध घोषित किये गये। मतदान केन्द्र संख्या 45 पर याचिकाकर्ता विजय बहादुर को 133 मत, प्रतिवादी सुनील कुमार को 136, प्रतिवादी संतोष को 43 तथा प्रतिवादी विनोद को 12 मत मिले तथा 10 मतपत्र अवैध घोषित किये गये। हालांकि फार्म 46 के अनुसार मतदान केन्द्र संख्या 43 पर कुल 21 मत अवैध घोषित किये गये हैं तथा मतदान केन्द्र संख्या 45 पर प्रतिवादी सुनील कुमार को 136 मत प्राप्त हुए हैं। उपरोक्त कथन से यह निष्कर्ष स्पष्ट है कि मतदान अधिकारी ने फार्म संख्या 46 में जो मतों की संख्या दर्शाई है, वह घोषित मतों की संख्या से भिन्न है।

5.2 साक्ष्य के रूप में, अपीलकर्ता, नितेश कुमार और विनोद कुमार (मतदान में भाग लेने वाले उम्मीदवारों में से एक) की गवाही प्रतिवादी संख्या 1 के साथ मौखिक गवाही या दिए गए बयान के माध्यम से दर्ज की गई।

5.3 अपीलकर्ता ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत पीठासीन अधिकारी का मतपत्र लेखा और डायरी मांगी थी। सक्षम प्राधिकारी ने 11 अगस्त, 2022 के आदेश द्वारा सहायक निर्वाचन अधिकारी को मांगे गए दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। हालाँकि, 30 अगस्त, 2022 के अपने उत्तर में सहायक निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद दस्तावेज नहीं मिल सके, इसलिए उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा सका।

5.4 विद्वान उप-जिलाधिकारी ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य पर विचार करने के बाद 31 अक्टूबर 2022 को आदेश पारित किया, जिसमें अपीलकर्ता की प्रार्थना को स्वीकार किया गया और बूथ संख्या 43, 44 और 45 पर डाले गए मतों की पुनर्गणना का निर्देश दिया गया। इसका प्रासंगिक अंश नीचे दिया गया है:

“याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्कों और प्रतिवादी द्वारा दिए गए मौखिक तर्कों के आधार पर, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि वर्तमान याचिका को स्वीकार करके पुनर्मतगणना कराने के लिए पर्याप्त आधार हैं। मैं न्यायिक प्रणाली और मतगणना प्रक्रिया पर याचिकाकर्ता के विश्वास को बनाए रखने के लिए ग्राम पंचायत चका @ चकपुरंदर के ग्राम प्रधान के पद पर पुनर्मतगणना कराना कानूनी रूप से

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उचित समझता हूं। इस प्रकार, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी सं. 1 को पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान करने और पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत बयान और साक्ष्य, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागणों की दलीलें, पक्षकारों (याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णु पांडे और अशोक कुमार मिश्रा) के विद्वान अधिवक्तागणों की दलीलें और प्रस्तुत निर्णय तथा प्रतिवादी सं. 1 के विद्वान अधिवक्ता श्री के.के. शुक्ला और ओ.पी. मिश्रा द्वारा विवाद्यक सं. 1 से 5 पर बौद्धिक रूप से प्रस्तुत तर्कों और प्रतिवादी सं. 1 द्वारा विवाद्यक सं. 6, 7, 8 पर प्रस्तुत किए गए तर्कों और साक्ष्यों तथा समग्र रूप से मुद्दों पर की गई टिप्पणियों के आधार पर, मैं याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों और निर्णयों को इस चुनाव याचिका में स्वीकार किए जाने योग्य पाता हूं। मुझे चुनाव याचिका को अनुमति देकर पुनर्मतगणना करवाने के लिए पर्याप्त आधार मिलते हैं। चूंकि राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली पर याचिका के अंतिम रूप से निस्तारण की कार्यवाही/आदेश अपलोड करने के बाद पुनर्मतगणना परिणाम अपलोड करना संभव नहीं होगा, ऐसी परिस्थिति में यह अंतरिम आदेश अपलोड किया जा रहा है।

अतः यह आदेश दिया जाता है कि तृतीय चरण पंचायत चुनाव-2021 के अन्तर्गत विकास खण्ड सैदाबाद की ग्राम पंचायत चका @ चकपुरन्दर के ग्राम प्रधान (ग्राम पंचायत) के दिनांक 02.05.2021 के चुनाव परिणाम (प्रोफार्मा-46) के विरुद्ध दाखिल चुनाव याचिका को स्वीकार करते हुए पुनर्मतगणना का आदेश पारित किया जाए... ”

5.5 इस आदेश से व्यथित होकर, प्रतिवादी संख्या 1 ने चुनाव पुनरीक्षण संख्या 146/2022 के विवरण के साथ एक पुनरीक्षण दायर किया। इसे 5 नवंबर 2022 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।

5.6 इस स्तर पर रिट याचिका, जिसमें यहां आक्षेपित निर्णय पारित किया गया था, दायर की गई।

6. अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 1 ने रिट याचिका में निम्नलिखित तर्क दिया:

(a) प्रतिवादी संख्या 1 (अपीलकर्ता) द्वारा फॉर्म 46 को दी गई चुनौती निराधार है, क्योंकि मतदान अधिकारी द्वारा किए गए कार्यों में कोई अनियमितता नहीं है।

(b) याचिकाकर्ता (प्रतिवादी) ने मतदान अधिकारी के कार्यों के सही और पुष्ट होने के अपने पक्ष के समर्थन में कुछ व्यक्तियों के शपथपत्रों को प्रस्तुत किया है, जिनमें यह घोषित किया गया है कि वास्तव में चुनाव की पवित्रता को दूषित करने वाली कोई अनियमितता नहीं हुई है।

(c) मतदान अधिकारी द्वारा अवैध घोषित किए गए 51 मतों को उचित निरीक्षण के बाद ऐसा किया गया है। प्रतिवादी संख्या 7 के रूप में तैनात उप-जिलाधिकारी ने मतदान अधिकारी द्वारा ऐसा करने के बावजूद, कानून के अनुसार पुनर्मतगणना का आदेश दिया था।

(d) प्रतिवादी या अपने पक्ष के समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत करने वालों द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया था और न ही मजिस्ट्रेट ने मतों की पुनर्मतगणना का आदेश पारित करते समय याचिकाकर्ता के समर्थन में प्रस्तुत शपथपत्र की विषय-वस्तु पर विचार किया था।

(e) उप-जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश अस्पष्ट और अनिश्चित आरोपों पर आधारित है, और इसके अलावा, यह बिना किसी तर्क के है क्योंकि इसमें कोई स्वतंत्र निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है।

(f) पुनर्मतगणना के आदेश से 'मतपत्र की गोपनीयता' के सिद्धांत से समझौता हुआ।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

इस प्रकार, यह प्रार्थना की गई कि पुनर्गणना के आदेश को रद्द करने तथा 7 नवंबर 2022 के आगे के आदेश को रद्द करने के लिए एक उत्प्रेषण की प्रकृति में रिट जारी की जाए, जिसमें पुनर्गणना के लिए 29 नवंबर 2022 की तारीख तय की जाए। इसके अलावा, यह प्रार्थना की गई कि प्रतिवादी सं. 1 को परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी की जाए, जिसमें उसे निर्देश दिया जाए कि वह 'ग्राम प्रधान' के रूप में याचिकाकर्ता के काम में हस्तक्षेप न करे।

7. उपरोक्त तर्क देने वाली रिट याचिका पर उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सुनवाई की गई। इस अपील में इसी निर्णय और आदेश को चुनौती दी गई है। आक्षेपित निर्णय का प्रासंगिक अंश इस प्रकार है:

“15. उपरोक्त भौतिक निष्कर्ष प्रोफार्मा-46 के निरीक्षण के बिना आधारित है क्योंकि मतदान न्यायाधिकरण ने शक्ति के बावजूद डाले गए मतों की संख्या और गणना किये गए मतों की संख्या के बीच अंतर के आरोपों को सत्यापित करने के संबंध में सत्यापन के लिए दस्तावेज नहीं मांगे हैं। उपरोक्त निष्कर्ष पूरी तरह से मौखिक दावे पर आधारित है, जैसा कि चुनाव याचिका में उल्लेख किया गया है, साथ ही आक्षेपित आदेश में कहा गया है कि मतदान अधिकारी ने मौखिक रूप से कुल डाले गए मतों की एक अलग संख्या बताई थी। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, याचिकाकर्ता ने चुनाव याचिका में किए गए अपने दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, हालांकि चुनाव याचिका में किया गया दावा पर्याप्त प्रतीत होता है, लेकिन किसी भी सहायक दस्तावेज के अभाव में पुनर्मतगणना का कोई आदेश पारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है... ”

पक्षकारों का मामला

8. उपरोक्त निर्णय और आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इस विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से, यह आग्रह किया गया है कि –

(a) उप-जिलाधिकारी का निर्णय इस न्यायालय द्वारा राम सेवक यादव बनाम हुसैन कामिल किदवई एवं अन्य में दिए गए निर्णय के अनुरूप था। इसके अलावा, चुनाव याचिका में पैरा 7, 8, 9, 10 और 12 में दिए गए कथनों तथा मौखिक साक्ष्यों के आधार पर ऐसा आदेश उचित है।

(b) उप-जिलाधिकारी के आदेश से मतपत्र की गोपनीयता के सिद्धांत से समझौता नहीं होता है और इस प्रकार, उच्च न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण है।

9. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि:-

(a) अधिनियम की धारा 12-सी के अंतर्गत पारित आदेश अंतिम है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। यह संविधान के अनुच्छेद 243-ओ के मद्देनजर है, जो चुनावी मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप के संबंध में रोक लगाता है।

(b) उपर्युक्त अधिनियम में पारित आदेश के विरुद्ध संशोधन के माध्यम से उपाय का प्रावधान है, अर्थात् अधिनियम की धारा 12-सी (6) में संशोधन किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(c) मतपत्रों के निरीक्षण/पुनर्मुद्रण के लिए आदेश कब पारित किया जा सकता है, यह बात राम अधार सिंह बनाम जिला न्यायाधीश, गाजीपुर में उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा स्पष्ट की गई है, जो हुसैन कामिल किदवई (उपरोक्त) और भाभी बनाम शिव गोविंद में इस न्यायालय के निर्णयों के बाद पारित की गई थी, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए पारित किए गए थे। उपरोक्त के मद्देनजर, यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय ने एक आदेश के खिलाफ रिट याचिका पर विचार करने में त्रुटि की है, जो कि प्रकृति में मध्यवर्ती था, जिसका उद्देश्य पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करना था।

(d) अधिनियम में पुनर्गणना की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, लेकिन धारा 12-सी में निहित शक्तियों को ध्यान में रखते हुए यह अंतर्निहित है और इसका प्रयोग इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार किया जाना है।

(e) चुनाव याचिका में दिए गए कथन, विशेष रूप से पैराग्राफ 7 से 10 प्रथम दृष्टया सही हैं, और उच्च न्यायालय ने उप-मंडल मजिस्ट्रेट द्वारा लौटाए गए मतपत्रों की अनुचित स्वीकृति और अस्वीकृति के निष्कर्षों पर ध्यान दिए बिना पुनर्गणना के आदेश को रद्द करने में त्रुटि की है।

10. जैसा कि रिकॉर्ड से समझा जा सकता है प्रतिवादी का मामला, इस प्रकार है:

(a) अपीलकर्ता ने अपने दावों/अभिकथनों के समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए पुनर्गणना का आदेश अपर्याप्त आधार पर है; मतपत्रों की गोपनीयता का उल्लंघन कमजोर, अस्पष्ट और अनिश्चित आधारों पर नहीं किया जाना चाहिए।

(b) प्रतिवादी ने चुनाव अधिकारी द्वारा अपनाए गए रुख के पक्ष में कुछ व्यक्तियों के शपथपत्र दाखिल किए हैं, जिनमें यह प्रमाणित किया गया है कि अपनाई गई प्रक्रिया में कोई अनियमितता नहीं है। विनोद कुमार, जिन्होंने याचिकाकर्ता के मामले का समर्थन करते हुए पुनर्मतगणना के पक्ष में हलफनामा प्रस्तुत किया है, वास्तव में मतदान केन्द्र पर उपस्थित नहीं थे, क्योंकि उस दिन उनकी शादी होने वाली थी। मतदान केन्द्र पर उक्त विनोद कुमार के एजेंट अजय कुमार ने शपथ पर कहा है कि निर्वाचन अधिकारी द्वारा कोई अनियमितता नहीं की गई है;

(c) उपर्युक्त को देखते हुए, विनोद कुमार का हलफनामा स्पष्टतः झूठा था जो अपने आप में एक दंडनीय अपराध है। अतः उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा की गई मौखिक दलीलों के समर्थन में किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में पुनर्मतगणना के आदेश को सही रूप से रद्द कर दिया।

11. उपरोक्त अभिलेखित प्रस्तुतियों के संबंध में पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागणों की दलीलें सुनने के बाद, इस न्यायालय के विचारार्थ यह प्रश्न उठता है कि क्या उप-जिलाधिकारी द्वारा डाले गए मतों की पुनर्गणना का आदेश दिया जाना न्यायोचित था।

विश्लेषण और निष्कर्ष

12. उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1947 की धारा 12 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन, उनके चुनाव की पद्धति, निर्वाचित सदस्यों के भत्ते, चुनावों का पर्यवेक्षण, चुनाव के लिए वाहन और परिसर लेना, चुनावों पर प्रश्न उठाने की प्रक्रिया आदि का प्रावधान है। हम यहां धारा 12-सी से चिंतित हैं जो चुनावों पर सवाल उठाने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

वाले आवेदन दाखिल करने से संबंधित है, क्योंकि चूंकि यह कानून का वह प्रावधान है, जिसका सहारा अपीलकर्ता ने लिया है। यह निम्नलिखित है:

“12- ग. निर्वाचनों पर आपत्ति करने के लिये आवेदन-पत्र - (1) [* * *] प्रधान के रूप में अथवा ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन के सम्बन्ध में, जिसके अन्तर्गत धारा 43 के अधीन न्याय पंचायत के पंच के रूप में नियुक्त किये गये किसी व्यक्ति निर्वाचन भी है, सिवाय किसी ऐसे आवेदन-पत्र द्वारा जो ऐसे प्राधिकारी को, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से, जो नियत की जाये, प्रस्तुत किया जाय, निम्नलिखित आधार पर आपत्ति न की जायेगी कि-

(क) यह निर्वाचन इस कारण निर्वाध निर्वाचन नहीं है कि इसमें रिश्त अथवा अनुचित प्रभाव डालने का भ्रष्ट आचरण व्यापक रूप से व्याप्त था, अथवा

(ख) निर्वाचन के परिणाम पर-

(i) किसी नाम - निर्देशन पत्र को अनुचित रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने से अथवा

(ii) इस अधिनियम के अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का पालन करने में घोर चूक किये जाने से, सारवान प्रभाव पड़ा है।

(2) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये निम्नलिखित रिश्त या अनुचित प्रभाव डालने के भ्रष्ट आचरण समझे जायेंगे,

(क) (1) रिश्त, अर्थात् -

(क) किसी व्यक्ति को उम्मीदवार के रूप में निर्वाचन में खड़े होने या न होने या उम्मीदवारी से नाम वापस लेने के लिये, या

(ख) किसी निर्वाचक को निर्वाचन में मतदान करने या मतदान करने से विरत रहने के लिये-

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्प्रेरित करने या मतदान से विरत रहने के लिये-

(1) वह इस प्रकार खड़ा हुआ या खड़ा नहीं हुआ या उसने उम्मीदवारी से अपना नाम वापस ले लिया; या

(2) किसी निर्वाचक को इस बात के लिये कि उसने मतदान किया या वह मतदान करने से विरत रहा,

पुरस्कार स्वरूप उम्मीदवार द्वारा या उम्मीदवार की मौन सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को, चाहे वह कोई भी क्यों न हो, कोई उपहार या कोई पारितोषण अर्पण का प्रस्ताव करना या वचन देना,

(ख) (2) अनुचित प्रभाव डालना अर्थात् निर्वाचन सम्बन्धी किसी अधिकार के निर्बाध प्रयोग में उम्मीदवार की ओर से या उम्मीदवार की मौन सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किया गया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप या हस्तक्षेप करने का किया गया प्रयत्न :

प्रतिबन्ध यह है कि इस खण्ड के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई व्यक्ति जो उसमें निर्दिष्ट हो और जो-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

- (1) किसी उम्मीदवार या किसी निर्वाचन या किसी व्यक्ति की जिससे उम्मीदवार या निर्वाचक हितबद्ध हो, किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने की धमकी जिसके अन्तर्गत सामाजिक बहिष्कार और जाति अथवा समुदाय से बहिष्कार या निष्कासन भी है, देता है, या
- (2) उम्मीदवार या निर्वाचक को यह विश्वास करने के लिये उत्प्रेरित करता है, या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि वह या ऐसा कोई व्यक्ति, जिससे वह हितबद्ध है, दैवी प्रकोप या आध्यात्मिक परिनिन्दा का पात्र हो जायेगा या बना दिया जायेगा,
- (3) उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन-पत्र किसी निर्वाचन में किसी उम्मीदवार या किसी निर्वाचक द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है और उसमें ऐसे ब्यौरे होंगे जो नियत किये जायें।
- स्पष्टीकरण – कोई भी व्यक्ति जिसने निर्वाचन में नामनिर्देशन पत्र निवेशित किया हो, चाहे वह नामनिर्देशन पत्र स्वीकार या अस्वीकार किया गया हो, निर्वाचन में उम्मीदवार समझा जायेगा।
- (4) उस प्राधिकारी को जिसे उपधारा (1) के अधीन आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जाये –
- (1) आवेदन-पत्र की सुनवाई करने और ऐसी सुनवाई में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया,
- (2) निर्वाचन को रद्द करने या निर्वाचन को अमान्य घोषित करने या आवेदक को सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करने या किसी अन्य उपशम जो आवेदक को प्रदान किया जाये, के विषय में ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्राप्त होंगे जो नियत किये जाये।
- (5) उपधारा (4) के अधीन नियत की जाने वाली शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उपधारा (1) के अधीन आवेदन-पत्र की सरसरी तौर पर सुनवाई करने और उसे निस्तारित करने के लिये नियमों में व्यवस्था की जा सकती है।
- (6) उपधारा (1) के अधीन आवेदन-पत्र पर विहित प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई पक्ष, आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर निम्नलिखित किसी एक आधार पर जिला न्यायाधीश को ऐसे आदेश के पुनरीक्षण के लिये आवेदन कर सकता है अर्थात् –
- (क) विहित अधिकारी ने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है;
- (ख) विहित प्राधिकारी इस प्रकार निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में विफल रहा है;
- (ग) विहित प्राधिकारी ने अपने अधिकारिता का प्रयोग करने में अवैध रूप से सारवान अनियमितता से कार्य किया है।
- (7) जिला न्यायाधीश के लिये आवेदन-पत्र का निस्तारण स्वयं कर सकता है या उसे अपने प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन किसी अपर जिला न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश या अपर सिविल न्यायाधीश को निस्तारण के लिये सौंप सकता है, और उसे किसी अधिकारी से वापस मंगा सकता है या किसी अन्य ऐसे अधिकारी को अन्तरित कर सकता है।
- (8) उपधारा (7) में उल्लिखित पुनरीक्षण प्राधिकारी ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसा नियत की जाये और वह विहित प्राधिकारी के आदेश की पुष्टि, उसमें फेरफार या उसे विखण्डित कर सकता है या मामले को पुनः सुनवाई के लिये विहित प्राधिकारी को प्रतिप्रेषित कर सकता

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

है, उस पर विनिश्चित होने तक ऐसा अन्तरिम आदेश दे सकता है। जैसा उसे न्यायसंगत और सुविधाजनक प्रतीत होता हो।

(9) इस धारा के अधीन दिया गया पुनरीक्षण प्राधिकारी का प्रत्येक विनिश्चित और इस धारा के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी आदेश के अधीन रहते हुये विहित प्राधिकारी का प्रत्येक विनिश्चय अन्तिम होगा।"

13. चूंकि इस अपील में शामिल प्रश्न मतों की पुनर्गणना से संबंधित है, इसलिए आइए हम इस पहलू पर कानून पर विचार करें – जैसा कि विभिन्न विधानों के संदर्भ में इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के माध्यम से निर्धारित किया गया है।

13.1 हुसैन कामिल किदवाई (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने बाराबंकी निर्वाचन क्षेत्र के लिए 1962 के लोकसभा चुनावों के संदर्भ में, जिसमें इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता को निर्वाचित घोषित किया गया था, और प्रतिवादी, जो चुनाव में प्रतियोगियों में से एक था, व्यथित था और उसकी शिकायत पर सुनवाई हुई और अंततः उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई, यह टिप्पणी की गई कि मतपत्रों के निरीक्षण का आदेश स्वाभाविक रूप से नहीं दिया जाना चाहिए और केवल कुछ शर्तों की पूर्ति होने पर ही इसकी अनुमति दी जा सकती है। प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैं—

"6. निरीक्षण का आदेश स्वाभाविक रूप से नहीं दिया जा सकता है: मतपत्रों की गोपनीयता पर जोर देने को ध्यान में रखते हुए, अदालत द्वारा निरीक्षण का आदेश देना न्यायसंगत होगा, बशर्ते दो शर्तें पूरी हों:

(i) यह कि किसी चुनाव को रद्द करने के लिए याचिका में उन तथ्यों का पर्याप्त विवरण शामिल है, जिन पर याचिकाकर्ता अपने मामले के समर्थन में निर्भर करता है; तथा

(ii) न्यायाधिकरण प्रथम दृष्टया इस बात से संतुष्ट है कि विवाद का निर्णय करने तथा पक्षकारों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए मतपत्रों का निरीक्षण आवश्यक है।

लेकिन मतपत्रों के निरीक्षण का आदेश याचिका में की गई अस्पष्ट दलीलों को समर्थन देने के लिए नहीं दिया जा सकता, जो भौतिक तथ्यों द्वारा समर्थित नहीं हैं, या ऐसी दलीलों के समर्थन में साक्ष्य खोजने के लिए नहीं दिया जा सकता। याचिकाकर्ता के मामले को तथ्यों के आधार पर सटीकता के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस तरह से प्रस्तुत मामले को स्थापित करने के लिए, यदि न्याय के हित में आवश्यक हो, तो निस्संदेह निरीक्षण का आदेश दिया जा सकता है। लेकिन केवल यह आरोप कि याचिकाकर्ता को संदेह है या विश्वास है कि वोटों का अनुचित स्वागत, अस्वीकृति या खारिज किया गया है, निरीक्षण के आदेश का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।"

13.2 वडिवेलु बनाम सुंदरम मामले में, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने तमिलनाडु के पुदुक्कोट्टई जिले के वन्नावलकुडी ग्राम पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव से संबंधित विवाद, जो तमिलनाडु पंचायत (चुनाव) नियम 1995 द्वारा शासित था, पर विचार करते हुए निर्णय दिया:

"16. ... इस न्यायालय ने लगातार यह विचार रखा है कि मतों की पुनर्गणना का आदेश बहुत कम ही दिया जा सकता है और चुनाव याचिका में दलीलों में विशेष आरोप के आधार पर कि मतगणना के दौरान अवैधता या अनियमितता की गई है। पुनर्गणना चाहने वाले याचिकाकर्ता को आरोप लगाना चाहिए और साबित करना चाहिए कि अवैध

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

मतों को अनुचित तरीके से स्वीकार किया गया या वैध मतों को अनुचित तरीके से खारिज किया गया। यदि न्यायालय उपरोक्त आरोप की सत्यता से संतुष्ट है, तो वह मतों की पुनर्गणना का आदेश दे सकता है। चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतपत्र की गोपनीयता को हमेशा पवित्र माना जाता है और इसे गिनती में अवैधता या अनियमितता के आरोपों से हल्के में नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन यदि यह साबित हो जाता है कि चुनाव की पवित्रता धूमिल हुई है और इसने चुनाव के परिणाम को भौतिक रूप से प्रभावित किया है जिससे पराजित उम्मीदवार गंभीर रूप से पक्षपाती है, तो न्यायालय ऐसी परिस्थितियों में पक्षकारों के बीच न्याय करने के लिए मतों की पुनर्गणना का सहारा ले सकता है।”

13.3 सुरेश प्रसाद यादव बनाम जय प्रकाश मिश्रा मामले में न्यायालय की ओर से लिखते हुए न्यायमूर्ति सरकारिया ने तीन परिदृश्य दर्ज किए, जिनमें पुनर्मतगणना उचित होगी। निर्णय का प्रासंगिक अंश इस प्रकार है:

“6. न्यायालय को मतपत्रों की पुनर्गणना का आदेश देने का औचित्य केवल तभी होगा जब:

- (1) चुनाव याचिका में उन सभी तथ्यों का पर्याप्त विवरण हो जिनके आधार पर गणना में अनियमितता या अवैधता के आरोप स्थापित होते हैं;
- (2) प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर ऐसे आरोप प्रथम दृष्टया सिद्ध होते हैं, जिससे यह विश्वास करने का अच्छा आधार मिलता है कि गणना में त्रुटि हुई है; और
- (3) याचिका पर विचार करने वाला न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट है कि विवाद का निर्णय करने और पक्षकारों के बीच पूर्ण और प्रभावी न्याय करने के लिए ऐसा आदेश देना अनिवार्य है।”

13.4 बेली राम भलाइक बनाम बिहारी लाल खाची मामले में, जिसमें विवाद का विषय हिमाचल प्रदेश राज्य के '6-कुमारसेन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र' से प्रतिवादी का चुनाव था, और इसलिए, यह स्पष्ट रूप से आरपीए द्वारा शासित था, हुसैन कामिल किदवई (उपरोक्त) सहित कई उद्धरणों पर विचार करते हुए, न्यायालय ने अवधारित किया:

"45. ... चूंकि पुनर्गणना का आदेश मतपत्रों की गोपनीयता को प्रभावित करता है, इसलिए इसे हल्के में या स्वाभाविक रूप से नहीं बनाया जाना चाहिए। यद्यपि सार्वभौमिक अनुप्रयोग का कोई ठोस नियम नहीं बनाया जा सकता है या बनाया गया है, फिर भी इस न्यायालय के निर्णयों की सूची से दो व्यापक दिशा-निर्देश स्पष्ट होते हैं:

न्यायालय द्वारा पुनर्मतगणना का आदेश देना या मतपत्रों के निरीक्षण की अनुमति देना तभी न्यायसंगत होगा, जब (i) मतगणना में अनियमितता या अवैधता के आरोपों पर आधारित सभी भौतिक तथ्यों का चुनाव याचिका में पर्याप्त रूप से तर्क किया गया हो, और (ii) याचिका पर विचार कर रहा न्यायालय/न्यायाधिकरण प्रथम दृष्टया संतुष्ट हो

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कि इस तरह का आदेश देना विवाद का निर्णय करने और पक्षकारों के बीच पूर्ण और प्रभावी न्याय करने के लिए अत्यंत आवश्यक है... ”

13.5 कानून के अनुसार मतपत्र की गोपनीयता बनाए रखी जानी चाहिए। सत्यनारायण दुधानी बनाम उदय कुमार सिंह मामले में न्यायालय ने अवधारित किया:

“10. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि न तो मतगणना के दौरान और न ही मतगणना पूरी होने पर मतपत्रों की पुनर्गणना के लिए कोई वैध आधार उपलब्ध था। याचिकाकर्ता-प्रतिवादी द्वारा रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष पुनर्मतगणना का दावा करते हुए एक गुप्त आवेदन दिया गया था। उक्त आवेदन में किसी भी प्रकार का विवरण नहीं दिया गया था। मतगणना में किसी भी प्रकार की अनियमितता या अवैधता को दर्शाने वाला एक भी मामला रिटर्निंग अधिकारी के संज्ञान में नहीं लाया गया। हमारा मानना है कि जब मतगणना में कोई अनियमितता या अवैधता दिखाने के लिए कोई समसामयिक साक्ष्य नहीं था, तो चुनाव याचिका में लगाए गए आरोपों के आधार पर पुनर्मतगणना का आदेश देना उचित नहीं होगा। हमें चुनाव याचिका में दिए गए तर्कों के बारे में बताया गया है। हम इस बात से संतुष्ट हैं कि चुनाव याचिका में दिए गए आधार पुनर्मतगणना का आदेश देने तथा मतपत्रों के निरीक्षण की अनुमति देने को उचित नहीं ठहराते। कानून का यह स्थापित प्रस्ताव है कि मतपत्रों की गोपनीयता से हल्के-फुल्के ढंग से छेड़छाड़ की अनुमति नहीं दी जा सकती। पुनर्गणना का आदेश स्वाभाविक रूप से नहीं दिया जा सकता। मतपत्रों की गोपनीयता बनाए रखी जानी चाहिए और केवल तभी जब उच्च न्यायालय याचिका में प्रस्तुत तथ्यों और समसामयिक साक्ष्यों के आधार पर संतुष्ट हो जाए कि पुनर्मतगणना का आदेश दिया जा सकता है।”

13.6 उदय चंद बनाम सूरत सिंह मामले में, इस न्यायालय ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के एक निर्णय और आदेश के विरुद्ध विशेष अनुमति से एक अपील पर विचार करते हुए यह निर्णय सुनाया है, जिसमें हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 176 के तहत दायर एक याचिका में, ग्राम बादशाहपुर, ग्राम पंचायत के सरपंच पद के लिए चुनाव में डाले गए मतों की पुनर्गणना करने का निर्देश देने वाले चुनाव न्यायाधिकरण के आदेश में कहा गया था:-

“12. मतपत्रों की गोपनीयता बनाए रखने के महत्व और जिन परिस्थितियों में उस गोपनीयता को भंग किया जा सकता है, उन पर इस न्यायालय द्वारा कई मामलों में विचार किया गया है। यह कहना गलत होगा कि चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा मतपत्रों की जांच की अनुमति देने तथा पुनर्मतगणना का आदेश देने से पहले दो बुनियादी आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए:

(i) मतपत्रों की पुनर्गणना की मांग करने वाली चुनाव याचिका में उन सभी तथ्यों का पर्याप्त विवरण होना चाहिए, जिनके आधार पर मतगणना में अनियमितता या अवैधता के आरोप लगाए गए हैं, और

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(ii) आरोपों के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर न्यायाधिकरण को प्रथम दृष्टया संतुष्ट होना चाहिए कि विवाद का निर्णय करने और पक्षों के बीच पूर्ण और प्रभावी न्याय करने के लिए, ऐसा आदेश देना अनिवार्य है, और संतुष्टिपूर्ण हैं।”

14. उपर्युक्त कानून पर विचार करने के पश्चात्, आइए अब हम उसके प्रकाश में पुनर्मतगणना के लिए की गई प्रार्थना पर विचार करें, जिसे उप-जिलाधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, किन्तु उच्च न्यायालय द्वारा उक्त निर्देश को आक्षेपित निर्णय के मद्देनजर खारिज कर दिया गया है। यह आरोप लगाया गया है कि अपीलकर्ता को दी गई मतों की गणना तथा अंतिम रूप से आधिकारिक प्रपत्र में दी गई जानकारी में असमानता है। यह 19 वोटों, अर्थात् 1193 और 1213 के बीच के अंतर से संबंधित है। प्रतिवादी की जीत का अंतर 37 वोट था, और इसलिए, एक प्रकार से अपीलकर्ता के लिए जीत अभी भी बहुत दूर है। हालाँकि, इस न्यायालय की चिंता इस बात से नहीं है कि सत्ता में कौन है, बल्कि इसकी चिंता है कि कोई व्यक्ति सत्ता में कैसे आया। यह प्रक्रिया संवैधानिक सिद्धांतों और स्थापित मानदंडों के अनुरूप होनी चाहिए – यदि ऐसा नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को सत्ता से वंचित किया जाना चाहिए, और लोगों द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया पुनः शुरू होनी चाहिए।

15. जब अधिकारी वहां मौजूद था और उसने अपीलकर्ता उम्मीदवार को डाले गए मतों की संख्या के बारे में बताया था, तो फिर कोई अंतर क्यों होना चाहिए? हम पहले ही देख चुके हैं कि प्रत्येक वोट का अपना मूल्य होता है, भले ही चुनाव के अंतिम परिणाम पर उसका कोई प्रभाव हो। इसकी पवित्रता को बनाये रखा जाना चाहिए। यह चार-पक्षीय चुनाव था, अर्थात् प्रधान पद के लिए चार व्यक्ति चुनाव लड़ रहे थे। चार में से तीन व्यक्तियों ने शपथपत्र के माध्यम से कहा कि उन्हें चुनाव की औचित्य पर संदेह है तथा वे मतों की पुनर्गणना का समर्थन करेंगे।

16. यह भी अभिलेख में आया है कि अंतिम विजेता को लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर प्रयास किए गए हैं, जैसे कि अपीलकर्ता को मतदान क्षेत्र के आस-पास से हटाने के लिए पुलिस बल का उपयोग करना। मतदान केंद्रों के पीठासीन अधिकारी की डायरी काफी प्रयास करने के बावजूद नहीं मिल पाई, जो वोट डालने का अभिलेख रखने वाला एक आवश्यक दस्तावेज होता है।

17. चुनाव में उम्मीदवार दिन भर मतदान पर नजर रखना चाहते हैं तथा उसके रिकार्ड का निरीक्षण करना चाहते हैं, जिससे उन्हें इनकार नहीं किया जा सकता। यदि पीठासीन अधिकारियों के अभिलेख गायब हैं और उन्हें सत्यापित नहीं किया जा सकता है, तो यह पाया जा सकता है कि अंतिम निष्कर्ष संदिग्धता के दायरे में है। चुनाव से संबंधित प्रत्येक दस्तावेज महत्वपूर्ण है और उसे सुरक्षित रखने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए।

18. विचाराधीन चुनाव वर्ष 2021 में हुआ था और कानून की प्रक्रिया चार साल बाद इस निर्णय के माध्यम से समाप्त हुई है। उपर्युक्त कारणों से, कि चार में से तीन उम्मीदवारों ने चुनाव की सत्यता और उसके संचालन के तरीके पर सवाल उठाया है, तथा चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब हैं और इस अनुपस्थिति का कोई कारण नहीं बताया गया है, हम वर्तमान तथ्यों के आधार पर इस मत पर हैं कि पुनर्मतगणना न्यायोचित होगी।

19. इसलिए, रिट सी संख्या 35734 सन् 2022 में सुनील कुमार बनाम उ.प्र. राज्य और अन्य शीर्षक से पारित उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 27 जनवरी 2023 को अपास्त किया जाता है और चुनाव याचिका संख्या 02010 सन् 2021 में उप-जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 31 अक्टूबर 2022 को बहाल किया जाता है। अपील स्वीकार की जाती है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

20. रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह इस निर्णय की एक प्रति इलाहाबाद उच्च न्यायालय के महानिबन्धक को भेजे, जो इसे संबंधित मजिस्ट्रेट तक पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे, ताकि वे पक्षकारों की सुनवाई के बाद परिणाम की पुनर्गणना के लिए तारीख तय कर सकें।

लंबित आवेदन (आवेदनों), यदि कोई हों, का निस्तारण किया गया।

मामले का परिणाम: अपील स्वीकार की गई।

हेडनोट्स अंकित ज्ञान द्वारा तैयार किये गये।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।